हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10/5/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलान्ट्स उपस्थित। बहस सुनी गयी। फैसले वास्ते आदेश दिनांक 16/05/22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

सुखदेवी
मोहनी
हापु

16/05/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलान्ट्स उपस्थित। अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय स्वरूप होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

(हस्ताक्षर)
(दिनेश)
अपीलार्थी

(हस्ताक्षर)
Adv. G.S. Choudhary

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 04/2020

अपीलाण्टगण

1. सुबटी पुत्री स्व.चूना पत्नी स्व. गेनाराम कौम जटिया, निवासी आलपुरा हाल निवासी शिवपुरा वार्ड 24 सांचौर तहसील सांचोर जिला जालौर
2. मोवनदेवी पुत्री स्व0 चूना पत्नी लुम्बाराम कौम जटिया साकिन आलपुरा हाल निवासी हरमू तिलोडा तहसील सायला जिला जालौर
3. धापूदेवी पुत्री स्व0 चूना पत्नी जेताराम कौम जटिया साकिन आलपुरा हाल निवासी हरमू तिलोडा तहसील सायला जिला जालौर
4. स्व0 कमलादेवी पुत्री चूना फौतगी पर कायम मु0/वारिशान

   4/1 गणपत वल्द स्व0 माता कमलादेवी पुत्री स्व0 चूनाराम पिता शंकरलाल

   4/2 दिनेश वल्द स्व0 माता कमलादेवी पुत्री स्व0 चूनाराम पिता शंकरलाल

   4/3 धनराज वल्द स्व0 माता कमलादेवी पुत्री स्व0 चूनाराम पिता शंकरलाल

   4/4 गौतम वल्द स्व0 माता कमलादेवी पुत्री स्व0 चूनाराम पिता शंकरलाल

   कौम जटिया निवासी आलपुरा हाल निवासी जटियों का वास, हरमू, तिलोडा, तहसील सायला जिला जालोर

बनाम

उत्तरदातागण

1. सरपंच ग्राम पंचायत आलपुरा
2. मकाराम वल्द सोनाराम उर्फ चूनाराम कौम जटिया साकिन आलपुरा
3. नरसींगा वल्द रूपा कौम जटिया
4. किशना वल्द रूपा कौम जटिया
5. रूगनाथ वल्द रूपा कौम जटिया
6. स्व0 तुलछी पत्नी रूपा फौतगी पर कायम मु0/वारिशान

   6/1 नरसींगा वल्द रूपा कौम जटिया

   6/2 किशनाराम वल्द रूपा कौम जटिया

   6/3 रूगनाथ वल्द रूपा कौम जटिया साकिन आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
7. भंवरा वल्द जगा
8. तोगा वल्द जगा
9. दुरगा वल्द जगा
10. मिश्रा वल्दजगा
11. दला वल्द जगा
12. जीवा वल्द जगा
13. राधा पत्नी जगा

    कौम जटिया साकिन आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
14. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे./एस.बी.आई. गुड़ामालानी
15. तहसीलदार/उपपंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 1247 दिनांक 05.12.2011 जो उत्तर संख्या 1 ग्राम पंचायत आलपुरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता अपीलाण्टगण**

–:: निर्णय ::–

अपीलान्टगण ने यह अपील ग्राम पंचायत आलपुरा द्वारा पारित नामान्तरणकरण संख्या 1247 दिनांक 05.12.2011 के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्स के स्वर्गीय पिता चूना वल्द मेगा व अपीलान्ट्स की माता हिन्दू विधि से शासित होते हैं तथा हिन्दु विधि से शासित परिवार के हिन्दू खातेदार की मृत्यु के बाद उसकी तमाम सम्पत्ति में उनके वारिशान जिसमें पुत्र–पुत्रियों व पत्नी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार समान रूप से उत्तराधिकारी का हक व अधिकार बनता है। अपीलान्टस के स्वर्गीय पिता चूना वल्द मेगा व माता राधा की फौतगी पर उसकी जायन्दा सन्तान अपीलान्ट्स संख्या 1 से 3 व 4 की कायम मुकाम सन्तान 4/1 ता 4/4 जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रथम वर्ग के वारीसान हैं। अपीलाण्टस के पिता चूना वल्द मेगा व माता राधा पत्नी चूना का फौतगी नामान्तरकरण संख्या 1247 दिनांक 05.12.2011 को दर्ज हुआ जो अपीलाण्ट्स के नाम दायर किया जाना था परन्तु अपीलाण्ट्स को अंधेरे में रखकर बिना वारिसान की जांच किये अपनी मनमर्जी से हल्का पटवारी आलपुरा द्वारा सह खातेदार जगा पुत्र मका अर्थात रेस्पोंडेन्टस संख्या 02 के नाम वारिशान के तौर पर भरा गया जिसे बिना वारिसान की जांच किये रेस्पोडेन्टस संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत आलपुरा द्वार स्वीकृत कर दिया गया, जबकि भू.अ.निरीक्षक ने अपनी जांच में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व वारिसान की जांच की जावे। इस गलत इन्द्राज की बजह से रेस्पोडेन्टस संख्या 2 अपीलाण्ट्स के हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि को बेचान कर अपीलाण्ट्स को बेदखल करने पर आमादा होने पर अपीलाण्ट्स द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की गईं तब इस गलत नामान्तरणकरण की जानकारी प्राप्त हुई, नकलें प्राप्त करते ही बिना विलम्ब के अन्दर म्याद उक्त अपील पेश की गई है तथा बिलम्ब को क्षमा के लिये म्याद अधिनियम की धारा 5 परीसीमा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत आलपुरा द्वारा भरा गया उक्त नामान्तरणकरण अवैध व शून्य होने से अपीलाण्टगण की अपील स्वीकार कर उत्तरदाता संख्या 1 ग्राम पंचायत आलपुरा द्वारा पारित नामान्तरणकरण संख्या 1247 दिनांक 05.12.2011 को प्रभाव शून्य करार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम विलोपित करते हुए इनके स्थान पर अपीलान्ट्स के नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामदगी का आदेश फरमावें। .

अपीलान्ट्स की अपील दर्ज कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद नोटिस [illegible] अनुपस्थित रहने से उत्तरदातागण के विरूद्ध [illegible] में लाई गई। अपीलान्ट्स की अपील के तथ्यों [illegible] तहसीलदार गुड़ामालानी से रिर्पोट ली गई। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 09 दिनांक 18.10.2021 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि नामान्तरकरण संख्या 1247 स्वीकृत दिनांक 05.12.2011 पारित हुआ है जिसके अनुसार चूना वल्द मेगा के फौत होने पर उनके स्थान पर मकाराम वल्द सोनाराम उर्फ चूनाराम का नाम दर्ज किया गया। इस नामान्तरकरण एवं चूनाराम के वारिसान के सम्बन्ध में खातेदारों एवं मौतबरान द्वारा बताया गया कि चूनाराम उर्फ सोनाराम के कोई पुत्र नहीं है, इनकी चार पुत्रियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested